मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आनन्द नगर, आलमबाग, लखनऊ–226005.

परिपत्र संख्या– 20 /लो0शि0(6)/2019. दिनांक: 18 जुलाई, 2019.

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश की कारागारों में मोबाइल फोन एवं अन्य निषिद्ध सामग्रियों के प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

विषयांकित प्रकरण में मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या–19/लो0शि0(6)/2019, दिनांक 12 जुलाई, 2019 के संदर्भ में परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन हेतु कतिपय कारागार अधीक्षकों द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उनके कारागारीय जनपदों में बी.एस.एन.एल. के नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है अथवा पर्याप्त मात्रा में सिंग्नल उपलब्ध नहीं हैं, परिणामस्वरूप मुख्यालय द्वारा जारी सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर का उपयोग विधिवत् नहीं हो पाने की स्थिति में अन्य नेटवर्क से सम्बन्धित अपने व्यक्तिगत् मोबाइन नम्बर की आवश्यकता बतायी गयी है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सम्यक विचारोपरान्त मुख्यालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 में चिन्हित अधिकारी यथा–कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक/जेलर मुख्यालय द्वारा जारी सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर के साथ एक व्यक्तिगत् मोबाइल नम्बर, जिसके नेटवर्क/सिंग्नल की कारागार पर विधिवत् उपलब्धता हो, का उपयोग इस शर्त के साथ कर सकेंगे कि उनके द्वारा कारागार भ्रमण/निरीक्षण हेतु कारागार के गेट सं0–2 के भीतर जाने पर उपरोक्त सी0यू0जी0 व व्यक्तिगत् मोबाइल अपने कार्यालय कक्ष अथवा गेट सं0–2 से पूर्व किसी सुरक्षित स्थान पर रखे जायेंगे।

किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति (शासकीय/अशासकीय) द्वारा कोई भी मोबाइल फोन (सी0यू0जी0/व्यक्तिगत् अथवा अन्य) कारागार के गेट सं0–2 के भीतर नहीं ले जाये जायेंगे अर्थात पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। परिपत्र के अन्य निर्देश व शर्तें यथावत् रहेंगें।

परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक कारागार अपने परिक्षेत्र की कारागारों के भ्रमण/निरीक्षण के समय उक्तानुसार यथा निर्धारित व्यवस्था के अनुपालन की गहन समीक्षा एवं सतत् निगरानीं करेंगे।

मुख्यालय द्वारा जारी उक्त संदर्भित परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

18/7/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।